आरटीआई मामला
अत्यंत आवश्यक / समयबद्ध

संख्या: **एवी-34010/90/2025-एएआई-एमओसीए (274830)**

भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय

"बी" ब्लॉक, राजीव गांधी भवन
सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली – 110003

दिनांक: **01.09.2025**

<u>आदेश</u>

जहाँ तक, श्री **रविकांत शुक्ला** ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत अपने आरटीआई आवेदन पंजीकरण संख्या एमओसीएवी/आर/पी**/25/00045** दिनांक **09.06.2025** के विरुद्ध दिनांक **24.07.2025** को ऑफलाइन प्रथम अपील प्रस्तुत की, वह प्राप्त हुई है।

और जहाँ तक, श्री शुक्ला ने अपने मूल आरटीआई आवेदन के माध्यम से **हेलीपोर्ट तथा सीएएसओ नीति** से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर सूचना मांगी थी।

और जहाँ तक, मांगी गई सूचना नागर विमानन मंत्रालय के एएआई अनुभाग के उत्तर देने वाले केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के संधारित अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थी तथा यह प्रतीत हुआ कि यह सूचना मंत्रालय के अन्य केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (डीटी अनुभाग) से संबंधित हो सकती है, जिसका प्रबंधन एक पृथक सीपीआईओ द्वारा किया जाता है। अतः आरटीआई आवेदन को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सीधे आवेदक को सूचना उपलब्ध कराने हेतु **सीपीआईओ, डीटी अनुभाग** को स्थानांतरित कर दिया गया तथा इस संबंध में आवेदक को दिनांक **26.06.2025** के पत्र द्वारा सूचित किया गया।

और जहाँ तक, अपीलकर्ता ने अवगत कराया है कि उन्हें दिनांक **26.06.2025** के समान संख्या वाले उत्तर के साथ कोई संलग्नक (जिसमें उस सीपीआईओ का विवरण था, जिसे आरटीआई आवेदन स्थानांतरित किया गया था) प्राप्त नहीं हुआ तथा न ही अन्य सीपीआईओ से कोई सूचना प्राप्त हुई। अतः दिनांक **26.06.2025** के उत्तर की एक प्रति, संलग्नक सहित, अपीलकर्ता को इसके साथ प्रेषित की जा रही है।

और जहाँ तक, अपेक्षित सूचना का संबंध है, यह ज्ञात हुआ है कि **सीपीआईओ, डीटी अनुभाग** ने भी आरटीआई आवेदन को आगे **केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए)** को स्थानांतरित कर दिया है (प्रति संलग्न), क्योंकि उनके अभिलेखों में भी मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं थी।

अतः, नागर विमानन मंत्रालय के एएआई अनुभाग के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को दिनांक 26.06.2025 को दिया गया उत्तर विधिसम्मत पाया जाता है तथा वर्तमान आरटीआई अपील में कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता। तथापि, उक्त उत्तर की एक प्रति स्क्रीनशॉट सहित अपीलकर्ता को प्रेषित की जा रही है।

और जहाँ तक, अपीलकर्ता अपेक्षित सूचना प्राप्त करने के लिए **सीपीआईओ/प्रथम अपीलीय प्राधिकारी**, **डीजीसीए** से संपर्क कर सकते हैं।

उपरोक्त के आलोक में, वर्तमान अपील का निस्तारण किया जाता है।

(नयोनिका दत्ता)
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं संयुक्त निदेशक

सेवा में,

श्री रविकांत शुक्ला
जन प्रहार फाउंडेशन,
10, सुपार्श्व अर्बाना, पी.पी. रोड, अंधेरी (पूर्व),
मुंबई - 400069 (महाराष्ट्र)

प्रतिलिपि:

1. केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं अवर सचिव, एएआई अनुभाग।
2. निजी सहायक, संयुक्त निदेशक (JD)।
3. आरटीआई प्रकोष्ठ, नागर विमानन मंत्रालय।